तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म जो में जारी
11-9-21	पत्रावली मान राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश किया जाना है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। समस्त दस्तावेजात एवं तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के लिए भी प्रार्थी के पक्ष में जाते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22-11-2018 को कायम रखा अस्थाई (confirm) किया जाता है। पत्रावली चैम्बर में होकर मुकदमे के रूप में आकर बाद मसमील जाता दस्तील एन्टर हो। उप खण्ड अधिकारी [illegible] जिला झुन्झुनू (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.05.13 13:17:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner